TO BE PUBLISHED IN AN EXTRAORDINARY ISSUE OF THE OFFICIAL GAZETTE OF THE STATE DATED 10.08.2013.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001.

Dated:- 10th August, 2013 19 Shravana, 1935 (SAKA)

NOTIFICATION

No.100/NL-LA/1/2013: - WHEREAS, the seat of Sh. C.M. Chang in the Legislative Assembly of the State of Nagaland, elected from 51-Noksen (ST) Assembly Constituency has become vacant on 14.03.2013 due to his resignation; and

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused:
- 3. NOW, therefore, in pursuance of Sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby
 - (A) Calls upon the said 51-Noksen (ST) Assembly Constituency in the State of Nagaland, to elect, before the 10th September, 2013 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, belonging to any of the Scheduled Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State.

- (B) *appoints, with respect to the said election,-
 - (a) the 17th August, 2013 (Saturday), as the last date for making nominations;
 - '(b) the 19th August, 2013 (Monday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 21st August, 2013 (Wednesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 4th September, 2013 (Wednesday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 10th September, 2013 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours from 08.00 AM to 5.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,

Vormer Com

(VARINDER KUMAR) SECRETARY ELECTION COMMISSION OF INDIA राज्य के शासकीय राजपत्र के दिनांक 10.08.2013 के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड , नई दिल्ली-110001

दिनांक : 10 अगस्त, 2013

19 श्रावण, 1935 (शक)

अधिसूचना

सं0 100 / नागालैंड – वि0 स0 / 1 / 2013 : – यतः, 51 नोकसेन (अ ज जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नागालैंड राज्य की विधानसभा में निर्वाचित श्री सी.एम चैना की सीट, उनके द्वारा त्यागपत्र देने के कारण दिनांक 14.03.2013 को रिक्त हो गई है; तथा

- 2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के उद्देश्य से उप-निर्वाचन करवाया जाना है;
- 3. अबं, अतः , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, 30 तथा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :--
- (अ) नागालैंड राज्य के उक्त 51— नोकसेन (अ ज जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि 10 सितम्बर, 2013 (मंगलवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों एवं आदेशों के अनुसार, राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के उद्देश्य से, राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए।
- (आ) उक्त निर्वाचन के संदर्भ में :-
- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीखं –

17 अगस्त, 2013 (शनिवार)

. (ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख --

19 अगस्त, 2013 (सोमवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख-

21 अगस्त, 2013 (बुधवार)

(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा,— 04 सितम्बर, 2013 (बुधवार)

- (इ) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएमा 10 सितम्बर, 2013 (मंगलवार) नियत करता है; तथा —
- (इ) 08.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

(वरिन्दर कुमार)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग